भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3805
दिनांक 12 अगस्त, 2025 /21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ निधियों का उपयोग

†3805. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र द्वारा जारी और उपयोग की गई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की कुल धनराशि राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने केंद्रीय सहायता की समयबद्धता और पर्याप्तता तथा किसी भी देरी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का आकलन करने हेतु कोई राहत-पश्चात् समीक्षा शुरू की है; और

(ग) प्रतिक्रियात्मक राहत उपायों के अतिरिक्त बाढ़ मैदानों के क्षेत्रीकरण और सक्रिय आपदा तैयारियों में सुधार के लिए कार्यान्वित किए जा रहे तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत जारी धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 3805, दिनांक 12.08.2025

ख): राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के मूल्यांकन और धनराशि जारी करने में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार ने गंभीर प्रकृति की किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद और राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत आईएमसीटी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए दिनांक 19.08.2019 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

(ग): आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने का प्रावधान करता है। माननीय प्रधानमंत्री ने जून 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) का शुभारंभ किया। सभी हितधारकों के परामर्श से वर्ष 2019 में इस योजना को संशोधित किया गया। संशोधित एनडीएमपी केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) स्थानीय प्राधिकारियों, जिला प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने तथा राष्ट्रीय योजना (एनडीएमपी) और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परामर्श के बाद, तथा राष्ट्रीय योजना (एनडीएमपी) और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए, जिला योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

जल शक्ति मंत्रालय ने 'बाढ़ मैदान ज़ोनिंग पर तकनीकी दिशानिर्देश - जुलाई 2025' को मंज़ूरी दे दी है और इन्हें कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भेज दिया गया है। लागू हो जाने पर, यह एक मूल्यवान दस्तावेज के रूप में रहेगा जो राज्यों को भविष्य में अतिक्रमण से नदियों की रक्षा के लिए अपने स्वयं के कानून बनाने में सक्षम बनाएगा। राज्यों को जागरूक करने के लिए, 2024 के दौरान नई दिल्ली में दो राष्ट्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। देश के प्रमुख शहरों में वित्त वर्ष 2025-26 में और भी क्षेत्रीय कार्यशालाओं को आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा, सक्रिय आपदा तैयारी के रूप में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) संबंधित राज्य सरकारों को चिन्हित स्थानों पर 24 घंटे तक के लीड टाइम के साथ अल्पकालिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। बाढ़ पूर्वानुमान अपने नेटवर्क के माध्यम से एकत्र नदी के आंकड़ों, वर्षा के आंकड़ों और आईएमडी से प्राप्त वर्षा के पूर्वानुमान और परियोजना अधिकारियों से प्राप्त रिलीज आंकड़ों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। सीडब्ल्यूसी उचित जलाशय नियमन के लिए चिन्हित जलाशयों को अंतर्वाह पूर्वानुमान भी जारी करता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 3805, दिनांक 12.08.2025

वर्तमान में, मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सीडब्ल्यूसी द्वारा 350 स्टेशनों (150 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन + 200 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशन) पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। नेटवर्क राज्य सरकार/परियोजना अधिकारियों के परामर्श से स्थापित किया गया है। सीडब्ल्यूसी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को वर्षा की भविष्यवाणियों के साथ चरम और गंभीर बाढ़ की स्थितियों का विवरण देने वाली दैनिक रिपोर्ट जारी करता है।

प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम न्यूनीकरण के एक भाग के रूप में, सीडब्ल्यूसी समर्पित वेबसाइटों, व्हाट्सएप, ईमेल और कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) अलर्ट के माध्यम से जल संसाधन विभागों (डब्ल्यूआरडी) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) को अल्पावधि बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करता है। जोखिम न्यूनीकरण उपाय करने के लिए 7-दिवसीय बाढ़ परामर्श उनकी समर्पित वेबसाइट ffs.india-water.gov.in और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से उपलब्ध हैं।

'फ्लड वॉच इंडिया' मोबाइल एप्लिकेशन वास्तविक समय में बाढ़ की निगरानी, 7-दिवसीय पूर्वानुमान और अंग्रेजी व हिंदी में द्विभाषी सहायता प्रदान करता है। सीडब्ल्यूसी के जल विज्ञान नेटवर्क से लगभग वास्तविक समय के जल स्तर और वर्षा के आंकड़े उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए ये व्यापक उपाय बाढ़ के जोखिम को कम करने और विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 3805, दिनांक 12.08.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2022-2023 से 2024-25 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से जारी धनराशि का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	एसडीआरएफ में केंद्र का हिस्सा जारी			एनडीआरएफ से जारी (बाढ़ सहित सभी आपदाओं के लिए)		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1.	आंध्र प्रदेश	940.00	987.20	1036.00	--	--	56.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	210.40	220.80	115.60	--	--	--
3.	असम	648.80	680.80	716.00	250.00	--	29.02
4.	बिहार	1189.60	1248.80	1311.20	--	--	--
5.	छत्तीसगढ़	181.60	181.60#	380.80#	--	--	33.24
6.	गोवा	9.60	9.60	10.40	--	--	31.50
7.	गुजरात	556.00	1140.00#	600.00#	--	--	--
8.	हरियाणा	412.80	433.60	455.20	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	342.40	360.80	378.40	214.26	787.25	84.56
10.	झारखंड	--	476.80#	1027.20#	--	--	--
11.	कर्नाटक	664.00	697.60	732.00	939.83	--	3528.45
12.	केरल	264.00	277.60	291.20	--	--	--
13.	मध्य प्रदेश	1528.80	1605.60	1686.40	--	--	--
14.	महाराष्ट्र	2706.40	2841.60	2984.00	--	--	--
15.	मणिपुर	35.20	18.80	50.00	--	--	12.15
16.	मेघालय	27.20	27.20#	59.60	--	--	11.98
17.	मिजोरम	39.20	41.60	43.20	--	--	18.36
18.	नागालैंड	34.40	36.80	38.40	107.31	--	181.81
19.	ओडिशा	1348.00	1415.20	1485.60	--	--	45.09
20.	पंजाब	416.00	436.80	458.40	--	--	29.60
21.	राजस्थान	1244.80	1307.20	1372.00	13.46	--	--
22.	सिक्किम	42.40	44.80	47.20	--	81.89	229.82
23.	तमिलनाडु	856.80	900.00	944.80	--	--	360.09
24.	तेलंगाना	188.80	584.80#	416.80	--	--	42.78
25.	त्रिपुरा	56.80	60.80	71.60	--	--	186.40
26.	उत्तर प्रदेश	812.00	1664.80#	1748.40#	--	--	172.95
27.	उत्तराखंड	787.20	826.40	434.00	--	--	21.30
28.	पश्चिम बंगाल	849.60	892.00	936.00	--	--	84.77
कुल		**16392.80**	**19419.60**	**19830.40**	**1524.86**	**869.14**	**5160.77**